उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/R3/का0परि0/204/2015/12/8885
Date 14/08/2015

सेवा में,

1. प्रोफेसर अख़्तरूल वासे, निदेशक, इस्लामिक अध्ययन विभाग, जामियां मिलियां इस्लामियां, नई दिल्ली।
2. डॉ बी0सी0 मैलकानी, प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
3. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
4. प्रोफेसर गोविन्द सिंह, निदेशक, मानवीकी विद्या शाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी उत्तराखण्ड।
5. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य, एवं क्षेत्रीय सेवाएँ, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
6. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, शोध/समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
7. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सहायक प्राध्यापक, वानिकी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **दिनांक 12 अगस्त, 2015 (बुधवार)** को सम्पन्न **कार्य परिषद की 12वीं बैठक** का कार्यवृत्त संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रस्तुत कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन प्रस्तावित हों तो कृपया तत्संबंधी संशोधनों से 10 दिवसान्तर्गत इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि तदनुरूप प्रस्तावित संशोधनों को कार्यवृत्त में समाहित कर अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

सादर,

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,
14/08/2015
(एल0एस0 रावत)
कुलसचिव/सचिव कार्य परिषद

प्रतिलिपि:- कुलपति कार्यालय को कार्यवृत्त सहित कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ। 17/8/15

o/c

Teenpani Bypass Road, T.P. Nagar, Haldwani-263139 (Nainital) तीनपानी बाईपास रोड, हल्द्वानी-263139 (नैनीताल) उत्तराखण्ड
Ph.- 05946 - 261122, Fax : 05946 - 264232 Website : www.uou.ac.in, E-mail : info@uou.ac.in

दिनांक 12 अगस्त, 2015 को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1. प्रोफेसर सुभाष धूलिया, — अध्यक्ष
   कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
2. प्रोफेसर अख़्तरूल वासे, — सदस्य
   निदेशक, इस्लामिक अध्ययन विभाग,
   जामियां मिलियां इस्लामियां, नई दिल्ली।
3. डॉ बी0सी0 मैलकानी — सदस्य
   प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, (प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नामित)
4. प्रोफेसर दुर्गेश पंत — सदस्य
   निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
5. प्रोफेसर गोविन्द सिंह, — सदस्य
   निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
6. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, — सदस्य
   निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
7. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र — सदस्य
   निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा,
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
8. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, — सदस्य
   सहायक प्राध्यापक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
9. श्री लक्ष्मण सिंह रावत, — सदस्य सचिव
   कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
10. श्रीमती आभा गर्खाल, — आमंत्रित सदस्य
    वित्त नियन्त्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
11. डॉ0 संजय ध्यानी, — विशेष आमंत्रित सदस्य
    उपकुलसचिव,उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

कार्य परिषद की 12वीं बैठक के प्रारम्भ में कुलपतिजी द्वारा परिषद के समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए अद्यतन विश्वविद्यालय में सम्पादित विविध शैक्षणिक गतिविधियों एवं विकास कार्यों से परिषद को अवगत कराया गया।

मो0शर्मा

कुलपतिजी द्वारा मुख्यत: **Teli-Presentation Skill Development** हेतु आयोजित वर्कशाप, रेडियो कम्यूनिकेशन वर्कशाप, सिमका के सहयोग से आयोजित **Open Resource** पाठ्यक्रम वर्कशाप तथा **UNESCO** के सहयोग से आयोजित **Media Communication Workshop** के सफल आयोजन से अवगत कराया गया। परिषद को विश्वविद्यालय की महत्वाकांक्षी स्मार्ट क्लास रूम परियोजना, एडुसेट परियोजना संचालन तथा इस हेतु वर्तमान अध्ययन केन्द्रों की व्यवस्था से इतर स्व-अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से संबंधित प्रयासों से भी अवगत कराया गया। कुलपति जी द्वारा विशेष रूप से विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे के विकास के अन्तर्गत पूर्ण एवं निर्माणाधीन निर्माण परियोजनाओं की प्रगति से भी परिषद को अवगत कराया गया। तदोपरान्त कुलसचिव (सचिव कार्य परिषद) द्वारा सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए निदेशक अकादमिक को इस बैठक हेतु कार्यसूची में इंगित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करते हुए सम्मानित सदस्यों से उक्त प्रस्तावों पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया।

इसके उपरान्त कार्य परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

प्रस्ताव संख्या 12.01- कार्य परिषद की 10वीं बैठक दिनांक 18.07.2014 एवं 11वीं बैठक दिनांक 15.09.2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्य परिषद की 10वीं बैठक दिनांक 18.07.2014 एवं 11वीं बैठक दिनांक 15.09.2014 के कार्यवृत्त को सभी सदस्यगणों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया था कि यदि कोई संशोधन हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में किसी सदस्य से कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। परिषद के समक्ष 10वीं बैठक दिनांक 18.07.2014 एवं 11वीं बैठक दिनांक 15.09.2014 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 12.02- कार्य परिषद की 10वीं बैठक दिनांक 18.07.2014 एवं 11वीं बैठक दिनांक 15.09.2014 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

उपर्युक्त पर परिषद द्वारा कृत कार्यवाही का अवलोकन कर कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.03- वित्त समिति की आठवीं बैठक दिनांक 05.05.2015 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

परिषद द्वारा वित्त समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.04- विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 29.08.2014 एवं सप्तम बैठक दिनांक 27 जून, 2015 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

परिषद द्वारा विद्या परिषद की दोनों बैठकों की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त, विद्या परिषद की 7वीं बैठक दिनांक 27 जून, 2015 के कार्यवृत्त के कतिपय बिन्दुओं पर निम्नानुसार मत व्यक्त किया गया:-

1. **प्रस्ताव संख्या-7.05-** प्रस्ताव के बिन्दु 02 के संबंध में कार्य परिषद के सदस्य डॉ0 एच0सी0 जोशी जो कि पर्यावरण विज्ञान के कार्यक्रम प्रभारी भी हैं द्वारा अवगत कराया गया कि इन पाठ्यक्रमों की विशेषज्ञ समिति में पंतनगर विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय तथा अल्मोड़ा के कोसी-कटारमल पर्यावरण संस्थान के प्रतिनिधि सम्मिलित थे अत: अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों को यथावत अनुमोदित किया जाना उचित होगा। कार्य परिषद इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हुई तथा विद्या परिषद की संस्तुति पर अपेक्षित कार्यवाही को पूर्ण करते हुए संबंधित विशेषज्ञ समिति/अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों को यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

15.10.2015

2. **प्रस्ताव संख्या-7.06 एवं 7.07-** परिषद द्वारा संबंधित प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही के दृष्टिकोण से संबंधित नियामक संस्थाओं को विविध प्रकरणों के निस्तारण हेतु कुलाधिपतिजी स्तर पर पत्र प्रेषित किये जाने हेतु कुलाधिपतिजी से अनुरोध किये जाने का मत व्यक्त किया गया।
3. **प्रस्ताव संख्या- 7.11-** परिषद द्वारा विदेशी अध्ययनार्थियों के विषय में नेपाली, भूटानी, तिब्बती एवं अन्य विदेशी अध्ययनार्थियों के अतिरिक्त सार्क (SAARC) देशों के अध्ययनार्थियों की श्रेणी भी सम्मिलित किये जाने का मत व्यक्त किया गया।
4. **प्रस्ताव संख्या- 7.15-** परिषद द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम के साथ ही डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित किये जाने का मत व्यक्त किया गया।

उक्तानुरूप परिषद द्वारा विद्या परिषद की छठी एवं 7वीं बैठकों की संस्तुतियों पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.05- भवन निर्माण समिति की आठवीं बैठक दिनांक 27.04.2015 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

परिषद द्वारा भवन निर्माण समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.06- परीक्षा समिति की सप्तम बैठक दिनांक 14.03.2015 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

परिषद द्वारा परीक्षा समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.07- सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार तथा पर्यटन के पदों पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समितियों की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 05 एवं 06 जून, 2015 को सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों हेतु सम्पन्न साक्षात्कार के उपरांत चयन समिति की सस्तुतियों के सील बन्द लिफाफे समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। परिषद द्वारा सहायक प्राध्यापक पदों पर चयन समिति के निम्न विवरणानुसार चयन परिणामों (श्रेष्ठता सूची) का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया-

क्रम संख्या	विषय	चयन परिणाम
1.	पत्रकारिता एवं जनसंचार	1. श्री भूपेन सिंह 2. श्री देवाशीष प्रसून (प्रथम प्रतीक्षा) 3. श्री मुकेश कुमार (द्वितीय प्रतीक्षा)
2.	पर्यटन	1. श्री अखिलेश सिंह

14.08.2015

प्रस्ताव संख्या 12.08- विश्वविद्यालय में नियोजित अकादमिक एसोसिएट्स, प्रशासनिक परामर्शदाता एवं तकनीकी परामर्शदाता (आई0सी0टी0/ डाटा प्रौसेसिंग/ रेडियो) आदि के कार्यकाल विस्तारण की सूचना के सम्बन्ध में।

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव अवलोकित कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.09- प्रोफेसर जे0के0 जोशी, निदेशक, शिक्षाशास्त्र को स्वीकृत पेंशन के आधार पर मासिक अवशेष देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में।

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव अवलोकित कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.10- डॉ0 दीपक पालीवाल, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र को दिनांक 01 अप्रैल 2015 से 02 वर्षों की अवधि हेतु यूजीसी रिसर्च अवार्ड स्वीकार किये जाने तथा इस हेतु कर्तव्यावकाश स्वीकृति अनुमोदन के सम्बन्ध में।

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए डॉ0 दीपक पालीवाल को यू0जी0सी0 रिसर्च अवार्ड स्वीकृत किये जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही परिषद के सम्मानित सदस्य प्रोफेसर अख़्तरूल वासे द्वारा कार्य परिषद की ओर से डॉ0 दीपक पालीवाल को सराहना पत्र प्रेषित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.11- परीक्षा नियंत्रक के पद पर प्रोफेसर पी0डी0 पंत के कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में।

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.12- आशुलिपिक ग्रेड- 1 के नियमित पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.13- परिवीक्षाधीन जनसम्पर्क अधिकारी के परिवीक्षावधि पूर्ण होने के पश्चात स्थायीकरण के संबंध में विचार।

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.14- परिवीक्षाधीन सहायक प्राध्यापकों के परिवीक्षावधि पूर्ण होने के पश्चात स्थायीकरण के संबंध में विचार।

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.15- लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक कुलसचिव पद पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के संबंध में।

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

14.08.2015

प्रस्ताव संख्या 12.16- शिक्षणेत्तर कार्मिकों के अवकाश नियमावली के संबंध में।

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षणेत्तर कार्मिकों की सेवा नियमावली जिसमें कि अवकाश भी सम्मिलित हों, के निर्धारण हेतु एक समिति गठन की संस्तुति करते हुए, समिति गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया। समिति के संस्तुति अनुरूप सेवा नियमावली प्रख्यापित होने की अवधि तक परिषद द्वारा प्रस्तावानुरूप विश्वविद्यालय में नियोजित नियमित शिक्षणेत्तर कार्मिकों को राजकीय कर्मचारियों की भांति अनुमन्य अवकाशों का लाभ प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.17- विद्या परिषद की चौथी बैठक दिनांक 05 मार्च, 2012 एवं कार्य परिषद की पाचवीं बैठक दिनांक 23 अप्रैल, 2012 में लिए गये निर्णयानुरूप विद्या परिषद के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारण के निर्णय हेतु परिनियम संशोधन प्रस्ताव।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रस्तावित परिनियम संशोधन पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नानुसार संशोधन प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति को स्वीकृतार्थ प्रेषित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया:-

परिनियम में वर्तमान में स्थापित व्यवस्था	परिनियम में संशोधन हेतु प्रस्तावित व्यवस्था
(3) कुलपति के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या-परिषद का सदस्य नहीं रहेगा। (4) कोई भी सदस्य दो से अधिक क्रमवर्ती पदावधि के लिए नामित नहीं किया जायेगा।	(3) पदेन सदस्यों के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या परिषद का सदस्य नहीं रहेगा ; परन्तु यह कि यदि उल्लिखित सदस्यों में क्रम संख्या-(तीन) पर वर्णित आचार्य, उपाचार्य (सह-प्राध्यापक) और प्राध्यापक (सहायक प्राध्यापक) में चक्रानुक्रम में चयन कि लिए अन्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ज्येष्ठताक्रम में ही पुन:किसी सदस्य को नियुक्त किया जा सकेगा। (4) पदेन सदस्यों से भिन्न, क्रम संख्या- 3 पर ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम में चयनित किये जाने वाले आचार्य, उपाचार्य (सह-प्राध्यापक) और प्राध्यापक (सहायक प्राध्यापक) तथा क्रम संख्या-(छ:) पर अंकित विद्या परिषद द्वारा सहयोजित किये जाने वाले पॉच सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी। विद्या परिषद के सदस्यों की पदावधि का आरम्भ, नाम निर्देशन की तिथि से होगा।

प्रस्ताव संख्या 12.18-अनुपूरक कार्यसूची

प्रस्ताव संख्या 12.18.01- विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों/विभागों में शैक्षिक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं आरक्षण निर्धारण विषयक प्रस्ताव।

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.18.02- विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों/विभागों में शैक्षिक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की चयन समिति हेतु विषय-विशेषज्ञों की सूची के अनुमोदन विषयक प्रस्ताव।

कार्य परिषद द्वारा विषय-विशेषज्ञों की सूची कुलाधिपति जी के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु कुलपतिजी को अधिकृत करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

14.08.2015

प्रस्ताव संख्या 12.18.03- विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-6 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' के परिनियम 28 (1-17) कैरियर अभिवर्धन योजना तथा परिनियम 32 (1-9) अध्यापकों का अवकाश नियमों के विलोपन एवं उनके स्थान पर अध्यादेश प्रतिस्थापन विषयक प्रस्ताव।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रस्तावित परिनियम विलोपन एवं उनके स्थान पर अध्यादेश प्रतिस्थापन विषयक प्रस्ताव संशोधन पर अवकाश विषयक अध्यादेश (अध्यादेश संख्या-01) के प्रस्तर 12 में बिन्दु 12.3 को निम्नवत् जोड़ने की संस्तुति की गयी-

12.3- The vacation mention in 12.1 and 12.2 shall be subject to Executive Council's decision to this effect for a particular Academic Year; i.e., if the vacations are to be declared in a particular Academic Year, the same shall be done as per approval of the Executive Council.

परिषद द्वारा उक्तानुसार संशोधनोपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए संशोधन प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति को स्वीकृतार्थ प्रेषित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। परिषद द्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया कि भविष्य में विश्ववि द्यालय आवश्यकतानुरूप सेवा नियमावली एवं अन्य संबंधित नियमावलियों को अध्यादेश के रूप में निर्मित किया जाना उचित होगा।

प्रस्ताव संख्या 12.18.04- विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजित अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि निर्धारण संबंधी प्रस्ताव।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन को स्वीकृतार्थ प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.18.05- विश्वविद्यालय में रिक्त शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों पर नियुक्ति विषयक प्रस्ताव।

कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12.19-अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 12.19.01- परिषद के सम्मानित सदस्य प्रोफेसर अख़्तरूल वासे द्वारा उत्तराखण्ड राज्य मदरसों में अध्ययनरत मुस्लिम विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा अल्पसंख्यक समुदाय के समेकित विकास (Inclusive Development) हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विशेष भूमिका निर्वहन की अपेक्षा करते हुए विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत संचालित मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ करवाये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया। साथ ही इस हेतु उर्दू पाठ्यक्रमों के विकास हेतु National Council for Promoting Urdu Language (NCPUL) का सहयोग प्राप्त किये जाने का भी सुझाव प्रदान किया गया।

14.8.2015

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं इनके समेकित विकास (Inclusive Development) प्रस्ताव पर गम्भीर प्रयास किये जाने तथा इस हेतु अग्रेत्तर कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु निदेशक क्षेत्रीय सेवाओं को अधिकृत करते हुए निकट भविष्य में संबंधित पक्षों की एक बैठक आयोजित किये जाने एंव इस हेतु प्रोफेसर अख़्तरूल वासे का सक्रिय सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी क्रम में परिषद द्वारा उर्दू-हिन्दी तथा हिन्दी-अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद पाठ्यक्रमों के विकास एवं संचालन हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या 12.19.02-</u> परिषद की बैठक में आमंत्रित सदस्य, विश्वविद्यालय की वित्त नियंत्रक श्रीमती आभा गर्खाल द्वारा विश्वविद्यालय में सृजित नियमित पदों पर नियोजित कार्मिकों को नवीन पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने विषयक प्रस्ताव परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि शासन की अधिसूचना संख्या-21/xxxvii(7)अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 अनुरूप दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के पश्चात नियोजित होने वाले कार्मिक पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नवीन पेंशन योजना से आच्छादित होंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में हुई है तदनुसार विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति तथा पूर्व से पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों से इतर सीधी भर्ती से नियोजित होने वाले अन्य समस्त कार्मिक नवीन पेंशन योजना से आच्छादित होंगे एवं इस हेतु कार्यवाही सम्पादित की जानी है। वित्त नियंत्रक ने परिषद के सम्मुख यह तथ्य प्रस्तुत किया कि निदेशक लेखा हकदारी को ऐसे कार्मिकों, जो नवीन पेंशन योजना से आच्छादित है का प्रमाण-पत्र वाछंनीय है। जिसे प्रस्ताव कार्य परिषद के सदस्यों के अनुमोदनोपरान्त भेजा जाना अपेक्षित है।

परिषद द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में दिनांक 01.10.2005 के उपरान्त नियोजित होने वाले कार्मिकों में से जो पूर्व से पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, को छोड़कर अन्य समस्त कार्मिक शासन की अधिसूचना संख्या-21/xxxvii(7)अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 अनुरूप नवीन पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों एवं कुशल नेतृत्व की भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी। विशेषतया नवीन तकनीकी के माध्यम से दूरस्थ स्थलों पर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रक्रियाधीन स्मार्ट क्लास रूम परियोजना की परिषद द्वारा सराहना की गयी।

अन्त में कुलसचिव के द्वारा कार्य परिषद के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा कार्य परिषद की 12वीं बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही सम्पन्न हुई।

14.8.2015

(एल0एस0 रावत)

कुलसचिव/सचिव कार्य परिषद

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रो0 सुभाष धूलिया
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला-नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कार्य परिषद की 12वीं बैठक दिनांक 12 अगस्त, 2015 के कार्यवृत्त को माननीय सदस्यों के अनुमोदन हेतु परिचालनोपरान्त प्राप्त संशोधन अनुरूप संशोधित कार्यवृत्त।

कार्यपरिषद की 12वीं बैठक दिनांक 12 अगस्त, 2015 के कार्यवृत्त को कुलसचिव कार्यालय के पत्रांक-यूओयू/आर3/2014/2015/12/8885 दिनांक 14.08.2015 द्वारा कार्य परिषद की बैठक में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों को इस आशय के साथ प्रेषित किया गया था कि यदि प्रस्तुत कार्यवृत्त में कोई संशोधन प्रस्तावित हों तो तदनुसार विश्वविद्यालय को अवगत कराना चाहें। उक्त के क्रम में कार्य परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों में से दो सदस्यों क्रमश: प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा एवं डॉ0 एच0सी0 जोशी, सहायक प्राध्यापक, वानिकी द्वारा आंशिक संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, तदनुरूप संशोधनोपरान्त कार्यवृत्त के संशोधित बिन्दुओं को निम्नानुसार पढ़ा जाना होगा

प्रस्ताव संख्या 12.04- विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 29.08.2014 एवं सप्तम बैठक दिनांक 27 जून, 2015 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

1. विद्या परिषद की 7वीं बैठक के कार्यवृत्त प्रस्ताव संख्या- 7.5 के बिन्दु 02 (विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत पर्यावरण विज्ञान संबन्धी पाठ्यक्रमों हेतु आयोजित अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन) के संबंध में कार्य परिषद के सदस्य डॉ0 एच0सी0 जोशी जो कि पर्यावरण विज्ञान के कार्यक्रम प्रभारी भी हैं द्वारा अवगत कराया गया कि इन पाठ्यक्रमों की विशेषज्ञ समिति में गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, दून विश्वविद्यालय देहरादून तथा गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा अध्ययन बोर्ड की बैठक में गोविन्द बल्लभ पंत पर्यावरण एवं विकास संस्थान कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं आई0ए0आर0आई0 के विषय-विशेषज्ञ सम्मिलित थे अत: अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों को यथावत अनुमोदित किया जाना उचित होगा। कार्य परिषद इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हुई तथा विद्या परिषद की संस्तुति पर अपेक्षित कार्यवाही को पूर्ण मानते हुए संबंधित विशेषज्ञ समिति/अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों को यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. विद्या परिषद की 7वीं बैठक के कार्यवृत्त प्रस्ताव संख्या 7.19 (विश्वविद्यालय में सृजित प्राध्यापक पदों पर नियमित नियुक्ति होने की अवधि तक अर्ह सेवानिवृत्त शिक्षकों के नियोजन पर विचार) पर परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति की गयी कि कुलपतिजी को परिनियम में वर्णित व्यवस्थानुरूप विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार शैक्षिक संवर्ग में सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियोजित करने का अधिकार होगा किन्तु 65 वर्ष की वय पूर्ण कर चुके शिक्षक विश्वविद्यालय में पुनर्नियुक्ति/सेवायोजन के पात्र नहीं होंगें।

28.08.15

(एल0एस0 रावत)

कुलसचिव/सचिव कार्य परिषद